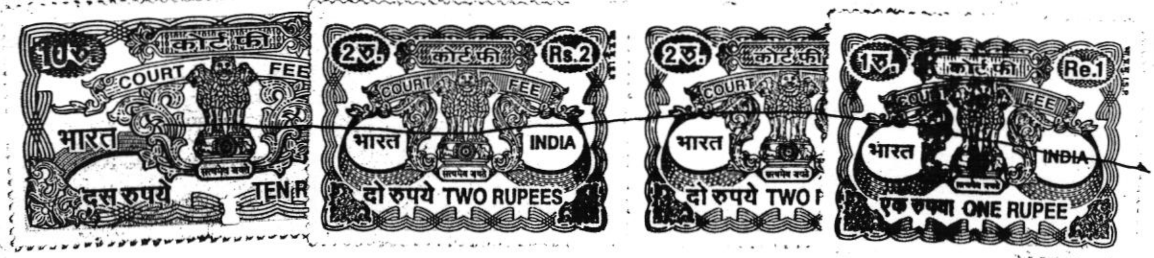

(84)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 R .... I/2014 निगरानी R-3140-I/14

गोदावरी शर्मा पुत्री रामप्रसाद शर्मा
ग्राम नयापुरा खिरेटा तह0 अम्बाह
जिला मुरैना ....आवेदक

श्री श्री कृष्ण शर्मा, अभि0
द्वारा आज दि. 17-9-14
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

औम प्रकाश पुत्र ग्याप्रसाद जाति
मेंहतर निवासी नयापुरा मौजा
खिरेटा तहसील अम्बाह जिला मुरैना

.................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 24/07/2014 न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय अम्बाह के प्र0क्र0 07/13–14×अ/12 निगरानी अन्तर्गत धारा 51 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम नयापुरा मौजा खिरेटा तह0 अम्बाह जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि बन्दोबस्त से पूर्व सर्वे क0 952 बन्दोबस्त के बाद नवीन सर्वे क0 1510 की आवेदिका भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है ।

2– यह कि अनावेदक को बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क0 951 बन्दोबस्त के बाद नवीन सर्वे क0 1511/3 का पट्टा प्रदान किया गया ।

3– यह कि अनावेदक द्वारा पट्टे की भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील अम्बाह में प्रस्तुत किया जो प्र0क्र0 07/13–14 × अ/12 पर पंजीबद्व किया जाकर दिनांक 20/05/2014 को पटवारी मौजा को सीमाकंन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया ।

4– यह कि पटवारी मौजा द्वारा मौके पर जाकर सीमाकंन न कर घर बैठे अक्स के विपरीत आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व के कृषि भूमि पर अबैध रूप से बतात हुये

XXIX(a)-BR(H)-11

(84)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3140-एक/14 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	